उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक D/3223 / जबलपुर, दिनांक 19 / 08 / 2020.

प्रतिलिपिः–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.)
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.)
3. जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर,
4. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश .....(समस्त),
6. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय .....(समस्त),
7. रजिस्ट्रार, प्रशासन / न्यायिक 1 एवं 2 / जिला स्था. / आई.एल. / एक्जाम एण्ड लेबर ज्यूडिशरी / कम–पी.पी.एस / ई, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
8. मेम्बर सेक्रेटरी (एस.सी.एम.एस.), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
9. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
10. एस.पी.एस.ए. (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
11. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
12. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) ....., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
13. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) ..... उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
14. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम) ..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
15. लेखाधिकारी (सैट), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
16. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
17. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्यायिक), स्थापना / बजट / लेखा / पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
18. सहायक स्थापना / पेंशन / वेतन पत्रक / वेतन निर्धारण / सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,

की ओर, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6–07 / 2012 / एक (1) भोपाल, दिनांक 14–07–2016 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के लिये अंगीकृत करते हुये सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः–मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6–07 / 2012 / एक (1) भोपाल, दिनांक 14–07–2016 की प्रतिलिपि.

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 6–07/2012/एक (1) भोपाल, दिनांक 14 जुलाई, 2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषयः–म0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा अनुपूरक सूची में अनुशंसित प्रत्याशियों की नियुक्ति हेतु शासन को नाम भेजने विषयक ।

संदर्भः– इस विभाग के ज्ञाप कमांक ए 6–10/85/एक (1) दिनांक 15–01–85, 31–3–87, ज्ञाप कमांक ए 6–5–96/एक (1) दिनांक 30–3–96 एवं एफ 6–07–2012/एक (1) दिनाक 7 मार्च,2012

——000——

संदर्भित पत्रों में लोक सेवा आयोग द्वारा भेजी गई चयन सूची के उम्मीदवारों की नियुक्ति अवधि के संबंध में निर्देश जारी किये गये है । दिनांक 7 मार्च,2012 को जारी निर्देश की कंडिका 4 निम्नानुसार है :–

" यदि चयन सूची में उल्लेखित कोई आवेदक एक बार उसे आवांटित पद पर नियुक्ति आदेश के पालन में पदभार ग्रहण कर लेता है और उसके पश्चात त्यागपत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या उसे जॉच उपरांत पद से हटाया जाता है तो ऐसे पद को नवीन रिक्त पद माना जावेगा और इस प्रकार रिक्त हुए पद के संबध में अनुपूरक सूची से नाम अनुशंसित नहीं किया जायेगा । "

2/ सामान्यतः रिक्त पदो की पूर्ति हेतु एक चयन प्रकिया है जिसमें काफी समय लगने के कारण पदपूर्ति के अभाव में शासकीय कार्य प्रभावित होते है। अतः प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से दिनांक07 मार्च, 2012 को जारी निर्देश की कंडिका –4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

" यदि मूल चयन सूची अनुसार नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने अथवा कार्यभार करने के पश्चात त्यागपत्र/मृत्यु व अन्य कारणों से पद रिक्त होते है तो प्रतीक्षा सूची की वैद्यता अवधि या एक वर्ष की अवधि के दौरान (जो भी कम हो) उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को नई रिक्ति न मानकर उन्हें प्रतीक्षा सूची से भरे जा सकेगे । विभागों का यह दायित्व रहेगा की मूल चयन सूची की संख्या से अतिरिक्त किसी भी स्थिति में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं दी जा सकेगी "।

(एम0 के0 वार्ष्णेय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 6–07/2012/एक (1) भोपाल, दिनांक 14 जुलाई, 2016

प्रतिलिति–

1.समस्त विभागाध्यक्ष,मध्यप्रदेश.
2.सचिव,लोक सेवा आयोग म.प्र.इन्दौर.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग